


समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल खण्ड पीठ रीवा (म0प्र0) निगरानी प्रक्र.

13
7-1-13



- 1- चन्द्रशेखर प्रसाद मिश्र तनय स्व० सीताराम मिश्र उम्र 65 वर्ष, पेशा कृषि, निवासी ग्राम-महरी, तहसील सिरमौर, जिला रीवा म0प्र०

वृजार्द प्रसाद मिश्रा तनय स्वर्ग पारसनाथ मिश्र उम्र 60 वर्ष पेशा कृषि

ग्रामपालिका के अधीन स्थित होने वाली ग्रामपालिका की विभिन्न विधियाँ इसके अन्तर्गत दिए गए हैं।

(1) ग्रामपालिका की विभिन्न विधियाँ:

- (1) ग्रामपालिका की विभिन्न विधियाँ जिनमें से एक विधि ग्रामपालिका के अधीन स्थित होने वाली ग्रामपालिका की विभिन्न विधियाँ हैं।
- (2) ग्रामपालिका की विभिन्न विधियाँ जिनमें से एक विधि ग्रामपालिका के अधीन स्थित होने वाली ग्रामपालिका की विभिन्न विधियाँ हैं।
- (3) ग्रामपालिका की विभिन्न विधियाँ जिनमें से एक विधि ग्रामपालिका के अधीन स्थित होने वाली ग्रामपालिका की विभिन्न विधियाँ हैं।

सौ. दि. ७-०१-१३

題用
卷之三

- 1- छोटेलाल द्विवेदी तनय बालेराम द्विवेदी, उम्र 70 वर्ष, पेशा कृषि, निवासी ग्राम-महरी, तहसील सिरमौर, जिला रीवा म0प्र0

2- संकर्षण प्रसाद तनय पारसनाथ उम्र 65 वर्ष, पेशा कृषि, निवासी ग्राम-महरी, तहसील सिरमौर, जिला रीवा म0प्र0

3- शासन म0प्र0 रेस्पाडेन्टगण / गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय

श्रीमान् तहसीलदार तहसील सिरमौर

के प्रकरण कमांक 8 अ 12 / 12-13

आर्दश दिनांक 31.12.12

निगरानी अन्तर्गत धारा 50मोप्र०भ—

राजस्व संहिता 1959

मान्यवर

निगरानी के आधार निम्नांकित हैं :-

- 1- यह कि निगरानीकर्तागण को गैरनिगरानीकर्ता/आवेदक क्रमांक-1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार निगरानी शुदा प्रकरण नहीं बनाया था बल्कि जानकारी हाने पर निगरानीकर्तागण ने विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.05.2012 को आपत्ति प्रस्तुत की थी।

মুক্তি হইলে কান্দিল

~~-4 3 2) 2x + 1, y~~

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-आ

प्रकरण क्रमांक R-895-III / 13

जिला-रीवा

चन्द्रशेखर / छोटेलाल

(1)	(2)	(3)
19.12.18 -	<p>1. आवेदक की ओर से श्री आनन्द मोहन मिश्रा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील सिरमौर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 8/अ-12/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 31.12.12 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 15.03.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">✓</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>	